Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता वृत प्रोजेक्ट बांसवाडा, श्री अशोक कुमार जांगिड के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जयपुर, पावटा, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा एवं बांसवाडा स्थित 13 ठिकानों पर सर्च।
- सर्च में करीब 4 करोड रूपये की माईनिंग मशीनरी, करोडों रूपये की 55 आवासीय भूखण्ड, माईनिंग लीज, कृषि भूमि, दुकाने व फार्म हाउस वगैरा परिसम्पत्तियां, पावटा में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल एवं तीन मंजिला व्यवसायिक परिसर, जयपुर में दो व्यवसायिक परिसर, पावटा में 40 बीघा में दो फार्म हाउस मिले।
- सर्च कार्यवाही में करीब 35 लाख रूपये के सोने चांदी के आभूषण, करीब 2 लाख रूपये की नगदी मिली।
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 20 अप्रेल रविवार/ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर, पावटा, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा एवं बांसवाडा में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये श्री अशोक कुमार जांगिड अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट बांसवाडा के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 13 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया एवं राज्य के 6 विभिन्न खनिज कार्यालय व उप पंजियक कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री अशोक कुमार जांगिड अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत प्रोजेक्ट बांसवाडा द्वारा भ्रष्टाचार से अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित खरीद कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी श्री अशोक कुमार जांगिड अधीक्षण अभियन्ता बांसवाडा स्थानान्तरण से पूर्व लम्बे समय तक रूडसिको एवं आरयूडीआईपी जयपुर में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहे हैं।

उक्त सूत्र–सूचना का ए.सी.बी. की आसूचना शाखा द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तो उक्त अधिकारी द्वारा कानून से बेखौफ होकर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई, जिस पर ओपरेशन बेखौफ चलाया जाकर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर करीब 11,52,70,848/रूपये (161 प्रतिशत) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में ए.सी.बी. भिवाडी के उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल यादव, अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर श्री महेन्द्र कुमार मीणा एएसपी एसीबी चौकी अलवर, श्री ऋषिकेश मीणा एएसपी एसीबी चौकी बांसवाडा, श्री विक्रम सिंह एएसपी एसीबी चौकी प्रतापगढ, श्री सुरेन्द्र पंचौली उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी एसआईडब्लयू जयपुर, श्री सुरेश स्वामी उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर, श्री रतन सिंह राजपुरोहित उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी डूंगरपुर, श्री हरिश भारती उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी बुंदी, श्री गम्भीर सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर, श्री छोटीलाल मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी जयपुर नगर द्वितीय जयपुर, श्री लक्ष्मण डांगी पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी एसयू उदयपुर, श्रीमती सोनू

शोखावत पु0नि0 एसीबी चौकी इन्टे0 उदयपुर, श्रीमती मीरा बेनिवाल पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी अजमेर, की विभिन्न टीमों के करीब 250 एसीबी के अधिकारी व कर्मचारियों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के जयपुर, पावटा, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा एवं बांसवाडा स्थित **13 विभिन्न ठिकानों** पर तलाशी की कार्रवाई की गई एवं राज्य के **6 विभिन्न खनिज कार्यालय व उप पंजियक कार्यालय** से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया।

आरोपी द्वारा स्वयं के नाम 19 परिसम्पत्तियां, पत्नी श्रीमती सुनिता शर्मा के नाम 3 परिसम्पत्तियां, पुत्र निखिल जांगिड के नाम 33 परिसम्पत्तियां जयपुर शहर, पावटा कोटपूतली, श्रीमाधोपुर, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा टोंक, श्री मोहनगढ जैसलमेर में करीब 19 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 55 अचल परिसम्पत्तियां कय करने व निमार्ण व निवेश में करोडो रूपये व्यय करने के दस्तावेज मिले।

आरोपी द्वारा स्वयं के नाम जयपुर व पावटा में मकान, निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल, तीन मंजिला व्यवसायिक परिसर, कैमरिया पावटा में फार्महाउस, पत्नी के नाम जयपुर में बनीपार्क, बिन्दायका में व्यवसायिक दुकान, पुत्र के नाम उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा पावटा में 5 खनिज लीज व श्रीमाधोपुर में कॉमर्सियल भूमि खनिज व ग्राइन्डिग उद्योग प्रयोजनार्थ खरीद करने व निवेश करने में करोडों रूपये व्यय करने के दस्तावेज मिले।

आरोपी के पुत्र के नाम उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा पावटा में स्थित खनिज लीजों में कशर, पोकलेन मशीन, एलएण्डटी मशीन, आईआर ब्लास्टिंग मशीन, डम्पर आदि व खनिज संचालन में करोंडो रूपये व्यय करने के दस्तावेज मिले।

संदिग्ध अधिकारी के जयपुर स्थित आवास की तलाशी में करीब 35 लाख रूपये के सोने चांदी के आभूषण मिले, जिनमें हाल ही में खरीदे करीब 20 लाख रूपये की ज्वैलरी खरीद करने के बिल बाउचर भी मिले व करीब 2 लाख रूपये की नगदी मिली। संदिग्ध अधिकारी व परिवारजनों के कुल 22 बैंक खातों में करीब 21 लाख रूपये मिले। इसके अतिरिक्त आरोपी के बच्चों की शिक्षा–संस्कार स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल जयपुर, मणीपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, बिट्स शिक्षण संस्थान पिलानी की फीस में करीब 30 लाख रूपये व्यय करने के दस्तावेज, आरोपी के पुत्र की शादी में करीब 30 लाख रूपये व्यय करने के दस्तावेज, अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश, दो बैंक लॉकर भी मिले हैं। बैंक लॉकरों की तलाशी लिया जाना शेष है।

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी अशोक कुमार जांगिड द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की खरीद कीमत की अनेक चल–अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।